Date: 12.04.2023	**Publication:** Navbharat Times

Health Insurance Port: हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में स्विच करने का यही है सही समय, जानें पोर्ट का तरीका और इसके नफा-नुकसान

Shishir Chaurasia | Navbharat Times | Updated: 12 Apr 2023, 3:00 pm

Health Insurance Portability: आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रखना जरूरी है। यदि सरकारी कर्मचारी हैं, तो भी मेडिक्लेम की एक पॉलिसी तो होना ही चाहिए। आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। और आप उससे खुश नहीं हैं। तो आपको पता है कि यह पोर्ट भी हो सकता है। मतलब कि आप पुरानी कंपनी को छोड़ कर नई कंपनी में अपनी पॉलिसी पोर्ट करवा सकते हैं।

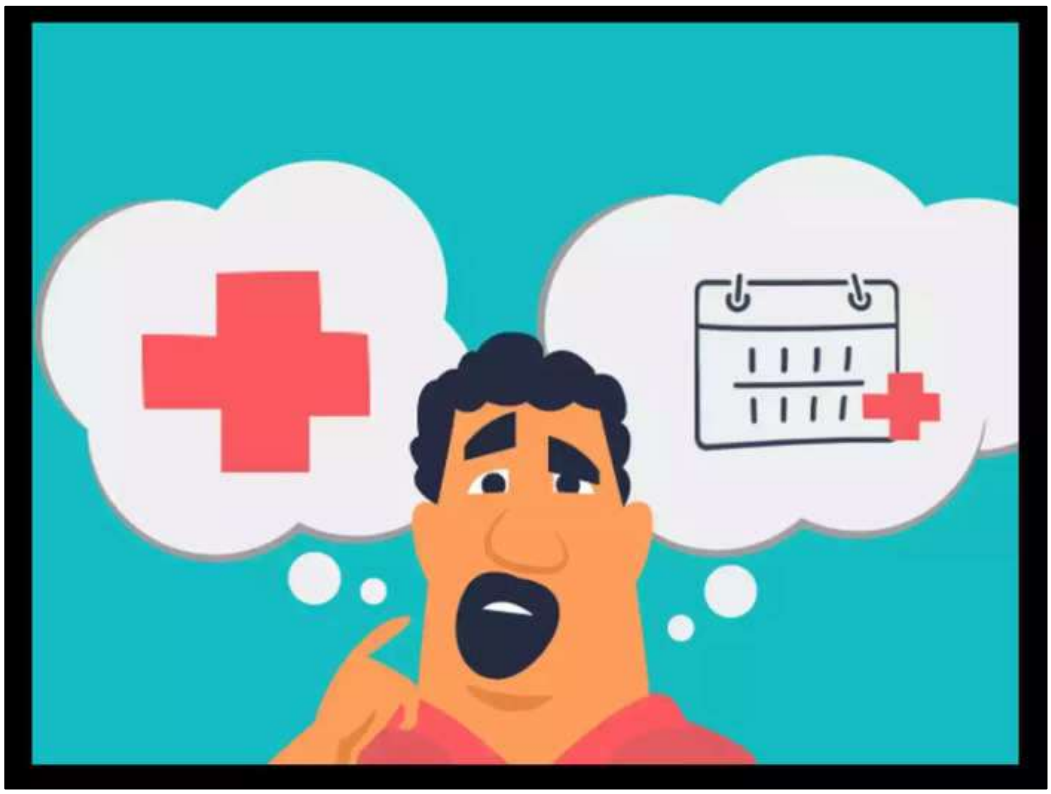

Health Insurance Port: हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में स्विच करने का यही है सही समय, जानें पोर्ट का तरीका और इसके नफा-नुकसान

- एप्लायंस अपग्रेड डेज - सर्वाधिक बिकने वाले एसी और रेफ्रिजरेटर पर 50% तक की छूट प्राप्त करें |

आपके पास कोई मोबाइल नंबर है। आज जिस कंपनी का मोबाइल फोन कनेक्शन रखे हुए हैं, उसकी सेवाओं से खुश नहीं हैं। तो आप क्या करते हैं? आपका जवाब है कि नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट करा लेते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करा लेते हैं, उसी तरह अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी पोर्ट करा सकते हैं। बजाज

आलियांज जनरल इंश्योरेंस के चीफ टेक्निकल ऑफिसर टी ए रामलिंगम हमें बता रहे हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी क्या है?

हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी आपको अपनी पॉलिसी को किसी एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता में बदलने या स्विच करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें पहले से मौजूद बीमारियों और टाइम एक्सक्लूशन के क्रेडिट का भी समावेश होता है। पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करती है कि बीमाकर्ता यदि ग्राहकों को बांधे रखना चाहते हैं तो उन्हें ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते रहना होगा। यह ग्राहकों को अपने बीमाकर्ता से संतुष्ट नहीं होने पर संचयी (cumulative) बोनस और समयबद्ध लाभों को खोए बिना बीमाकर्ता को बदलने की स्वतंत्रता भी देता है।

इसकी प्रक्रिया क्या है?

आप अपनी पॉलिसी को नवीनीकरण या रिन्यूवल के समय या उसके आसपास पोर्ट कर सकते हैं। इसे नवीनीकरण के समय से 45 दिन पहले शुरू किया जाना चाहिए। अपनी पॉलिसी को पोर्ट करने के लिए, आपको पोर्टेबिलिटी फॉर्म के अलावा एक नया प्रपोजल फॉर्म भी जमा करना होगा। एक बार जब नया बीमाकर्ता आपका पोर्टेबिलिटी अनुरोध प्राप्त कर लेता है, तो वे आपकी चिकित्सा और क्लेम्स के इतिहास को जानने के लिए मौजूदा बीमाकर्ता से संपर्क करेंगे। नया बीमाकर्ता अपने मौजूदा मानदंडों के अनुसार प्रतिबंधित कवरों को स्वीकार, प्रस्तावित या अनुरोध के आधार को अस्वीकार कर सकता है।

कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं?

आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करते समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:

पोर्ट कराते समय इन बातों का रखें ध्यान

यदि आप बीमा राशि को बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं, तो कृपया ध्यान दें कि प्रतीक्षा अवधि का लाभ केवल पुरानी बीमा राशि की राशि पर ही लागू होगा।अक्सर लोग अपनी पॉलिसी को इसलिए पोर्ट कराते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनी कम प्रीमियम कोट करती है। कम प्रीमियम वाली पॉलिसी में प्रतिबंधित कवर ज्यादा होते हैं। इसलिए नए बीमाकर्ता द्वारा विस्तारित कवरेज को समझना अनिवार्य है। साथ ही जब आप किसी एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता को चुनते हैं तो आपको पहले से मौजूद बीमारियों, प्रतीक्षा अवधि, नो क्लेम बोनस, यदि कोई हो, तो इसके लिए पोर्ट टाइम दिया जाता है, लेकिन पॉलिसी के फीचर्स के लिए नहीं। प्रत्येक पॉलिसी की अपनी विशिष्टताएं होती हैं। आप क्या छोड़ रहे हैं और आपको क्या अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए दोनों नीतियों की विशेषताओं को ठीक से जांच परख लें। ध्यान रखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉन-डिस्क्लोजर की किसी भी परेशानी से बचने के लिए आपको अपने क्लेम और मेडिकल हिस्ट्री से संबंधित सभी विवरणों का सही खुलासा करना चाहिए।

मूल्यांकन जरूर करें

हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी आपको इधर-उधर घूमने और मार्केट में पेश अन्य ऑफर्स का पता लगाने की स्वतंत्रता देती है। लेकिन, पोर्टेबिलिटी का विकल्प चुनने से पहले आपको अपने विकल्पों का अच्छी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए। कवरेज और प्रतिबंधों को समझना चाहिए। साथ ही सभी ऑफर्स का एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद एक सोचा-समझा फैसला लिया जाना चाहिए। ताकि आपको बाद में कोई निराशा हाथ न लगे।